न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत साहडोली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/213 /15	13.08.2015	01.06.2018

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र प्रभाती जाति जाटव
2. इमरती पुत्री प्रभाती जाति जाटव निवासीयान ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन रकबा 298 में से 7 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 में से 1.78 हैक्ट0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रभाती पुत्र बोदन को राजस्व कैम्प में नियमन द्वारा पटटा सं0 80 दिनांक 03.06.1966 को आवंटित की जाकर पटटा जारी हुआ था। मौके पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2021 में पटवारी हल्का की घटना बही में वादीगण के पिता को कब्जा व दखल दिया गया। उसके बाद खसरा गिरदावरी सम्वत 2021–2025 तक वादीगण के पिता के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज है। बाद आवंटन वादीगण का पिता प्रभाती पुत्र बोदन विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करने लगे ताजिन्दगी काबिज रहकर काश्त करते रहे। वादीगण के पिता का निधन हो चुका है। वादीगण उसके बहैसियत पुत्र/ पुत्री काबिज वारिस है तथा उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के पिता के निधन के पहले व बाद में काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का पिता प्रभाती एक ग्रामीण व्यक्ति था तथा वादीगण भी ग्रामीण व अशिक्षित व्यक्ति है बाद आवंटन श्री प्रभाती ने यह समझा कि विवादित आराजी उसके नाम दर्ज हो गई होगी। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से विवादित आराजी के आवंटन का अमल राजस्व रिकार्ड में नही हो सका जिस कारण से विवादित राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज चली आ रही है जो आवंटन व कब्जे व मौके के खिलाफ है। दिनांक 10.08.2015 को प्रतिवादी सं0 1 के कारिंदे उक्त आराजी पर आये और वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

व मजाहमत पैदा की तथा वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर उक्त आराजी को किन्हीं दीगर शख्सों को आवंटन करने की धमकी दी। जिस बाबत यह दावा पेश किया।

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन रकबा 298 में से 7 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 में से 1.78 हैक्ट0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर का बहैसियत वारिसान काबिज जायदाद आवंटी प्रभाती मृतक खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड का इन्द्राज कलमजन कराया जाकर बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन 298 में से 7 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 में से 1.78 हैक्ट0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी दावा में विवादित बतायी है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम साहडोली सम्वत 2064–2067 के खाता सं0 213 पर सिवायचक लगानी (कस्टोडियन) खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 बंजड प्रथम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर कैफियत के कॉलम में नोट लगा हुआ है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम साहडोली सम्वत 2068–2071 के खाता सं0 356 पर सिवायकचक लगानी (कस्टोडियन) आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 28.51 बंजड प्रथम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल ग्राम साहडोली सम्वत 2058–2066 तक में हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 का साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन 258 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 03.04.2008 तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ के आदेश क्रमांक 786 से 801 दिनांक 11.04.2008 की पालना में निम्न प्रकार से दिया गया। जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 के खाता सं0 213 में अमल का नोट लगा है। पत्रावली में संलग्न नकल लोकल पटटा ग्राम साहडोली द्वारा परभाती पुत्र बोदन चमार सा0 साहडोली को 03.06.1966 को आवंटन

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

खसरा नम्बर 1967 रकबा 190 रकबा 18 बिस्वा में से 6 बीघा दर्ज है। पत्रावली में संलग्न घटना बही पटवारी हल्का साहडोली द्वारा मौके पर दखल देने का अंकन दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी ग्राम साहडोली सम्वत 2032–35 के विशेष विवरण में कॉलम में परभाती पुत्र बोदन का 6 बीघा का अंकन दर्ज है। वाद स्वीकार योग्य है।

वादीगण ने दावे के समर्थन में स्वयं वादी छोटेलाल पुत्र प्रभाती, गुरूदयाल पुत्र कजोडीराम, प्यारेलाल पुत्र लालमन के हलफनामे पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 03.04.2008, जमाबन्दी सम्वत 2064–67, लोकल पटटा दिनांक 03.06.1966, जमाबन्दी सम्वत 2068–2071, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, घटना बही पटवारी दिनांक 08.06.1965, खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–2035, पटटा बाबत काश्त भूमि निष्क्रांत दिनांक 27.01.1970, जमा रसीद लगान दिनांक 29.01.1970, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभाती दिनांक 01.05.2008 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत साहडोली में दिनांक 01.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि जमाबन्दी ग्राम साहडोली सम्वत 2064–2067 के खाता सं0 213 पर सिवायचक लगानी (कस्टोडियन) खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 बंजड प्रथम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर कैफियत के कॉलम में नोट लगा हुआ है। जमाबन्दी ग्राम साहडोली सम्वत 2068–2071 के खाता सं0 356 पर सिवायकचक लगानी (कस्टोडियन) आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 28.51 बंजड प्रथम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम साहडोली सम्वत 2058–2066 तक में हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 का साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन 258 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 03.04.2008 तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ के आदेश क्रमांक 786 से 801 दिनांक 11.04.2008 की पालना का जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 के खाता सं0 213 में अमल का नोट लगा है। नकल लोकल पटटा ग्राम साहडोली द्वारा परभाती पुत्र बोदन चमार सा0 साहडोली को 03.06.1966 को आवंटन खसरा नम्बर 1967 रकबा 190 रकबा 18 बिस्वा में से 6 बीघा दर्ज है। घटना बही पटवारी हल्का साहडोली द्वारा मौके पर दखल देने का अंकन दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम साहडोली सम्वत 2032–35 के विशेष विवरण में कॉलम में परभाती पुत्र बोदन का 6 बीघा का अंकन दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

है। विवादित आराजी वादीगण के पिता प्रभाती पुत्र बोदन को राजस्व कैम्प में नियमन द्वारा पटटा सं0 80 दिनांक 03.06.1966 को आवंटित की जाकर पटटा जारी हुआ था। मौके पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2021 में पटवारी हल्का की घटना बही में वादीगण के पिता को कब्जा व दखल दिया गया। उसके बाद खसरा गिरदावरी सम्वत 2021–2025 तक वादीगण के पिता के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज है। बाद आवंटन वादीगण का पिता प्रभाती पुत्र बोदन विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करने लगे ताजिन्दगी काबिज रहकर काश्त करते रहे। वादीगण के पिता का निधन हो चुका है। वादीगण उसके बहैसियत पुत्र/ पुत्री काबिज वारिस है तथा विवादित आराजी पर वादीगण के पिता के निधन के पहले व बाद में काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी वादीगण द्वारा ही काश्त की जा रही है। और मौके पर काबिज है। जिसकी ताईद में वादीगण द्वारा हलफनामे प्रस्तुत किये है उनसे बखूबी कब्जा साबित होता है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से विवादित आराजी के आवंटन का अमल राजस्व रिकार्ड में नही हो सका जिस कारण से विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज चली आ रही है। वादीगण सिवायचक लगानी के इन्द्राज को कलमजन कराने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन रकबा 298 में से 7 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 में से 1.78 हैक्ट0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर का बहैसियत वारिसान वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड का इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट साहडोली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत साहडोली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/213/15	13.08.2015	01.06.2018

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र प्रभाती जाति जाटव
2. इमरती पुत्री प्रभाती जाति जाटव निवासीयान ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1967 मिन रकबा 298 में से 7 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 944 रकबा 65.30 हैक्ट0 में से 1.78 हैक्ट0 वाके ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर का बहैसियत वारिसान वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड का इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0